विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2017/904

दिनांक : 2/8/1

प्रति,

प्राचार्य,
शहीद नरेन्द्रसिंह शिक्षा महाविद्यालय,
जावरा, जिला–रतलाम।

विषय : विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में निर्मित परिनियम क्रमांक 27 के प्रावधानान्तर्गत अस्थाई सम्बद्धता–निरंतरता प्रदान करने के संबंध में।

संदर्भ :– महाविद्यालय का सम्बद्धता–निरंतरता आवेदन क्रमांक/05,दिनांक 19.05.2017

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत में नवीन संकाय/नवीन विषय/सीट संख्या वृद्धि की जाने/संबद्धता–निरंतरता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसा को विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 13.07.2017 में प्रस्तुत किया गया, जिसमें निर्णय लिया गया कि,शहीद नरेन्द्रसिंह शिक्षा महाविद्यालय,जावरा,जिला–रतलाम,में सत्र 2017–18,से बी.एड. पाठ्यक्रम की अस्थाई सम्बद्धता–निरंतरता प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसानुसार उक्त महाविद्यालय को सत्र 2017–18 से बी.एड.पाठ्यक्रम की सशर्त अस्थाई सम्बद्धता–निरंतरता निरीक्षण समिति द्वारा इंगित कमियों की पूर्ति दो माह में पूर्ण करने के शपथ पत्र के आधार पर सशर्त प्रदान की जाये।

उक्त बैठक के निर्णय के अनुसरण में महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र के आधार पर को निम्न विवरणानुसार सत्र 2017–18 से शर्तो के अधीन कार्यपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में नितांत अस्थाई संबद्धता– निरंतरता प्रदान की जाती है :–

क्र.	पाठ्यक्रम	सीट संख्या
01.	बी.एड.	50

शर्ते :–

01. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 13.07.2017 में लिये गये निर्णय का पालन करना सुनिश्चित करें।
02. पुस्तकालय में नवीन शैक्षणिक पत्रिकाऐं आमंत्रित की जाऐ।
03. प्राचार्य का पद रिक्त होने से परिनियम क्रमांक 28 के अन्तर्गत प्राचार्य के पद पर चयन हेतु प्रक्रिया प्रारंभ की जाये।
04. महाविद्यालय पहुँच मार्ग का उन्नयन किया जाये।
05. खेल मैदान का निर्धारित मापदण्डानुसार निर्माण किया जावे।

उपरोक्त कमियों की पूर्ति दो माह में आवश्यक रूप से पूर्ण करें,अन्यथा सम्बद्धता पर पुनः विचार किया जावेगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव

निरंतर...02